गाँधी : महिला सशक्तिकरण विषयक दृष्टिकोण

अभय कुमार
शोध छात्र, दर्शन विभाग
डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
सागर (म.प्र.) 470003
मो. 9131373073 ईमेल– abhayipr@gmail.com

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी स्त्री व पुरुष में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं रखते थे। वे मानते थे कि पुरुष की तुलना में महिलाओं के लिए कोई अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों में गाँधी जी का महिलाओं के बारे में छवि और सोच में भिन्नता पायी जाती है। गाँधी जी महिलाओं की समस्याओं पर विचार करने वाले पहले चिंतक नहीं थे। देखा जाये तो 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों का विश्वास सहानुभूतिपूर्ण होने के साथ–साथ संरक्षणात्मक था। वे किसी भी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा में विश्वास रखते थे।

गाँजी जी का मानना था कि स्त्री केवल भोग की वस्तु नहीं है और न ही पुरुष की प्रतियोगी। गांधी के सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के गहन अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी एक नारीवादी चिंतक थे, जिन्होंने पितृसत्तात्मक मूल्यों के अवसर पर लैगिंग समानता के मुद्दों का निर्माण किया, और उन्हें संबोधित भी किया। गांधी जी महिलाओं की सामाजिक समस्याओं पर अपने मंच से कई प्रश्नों को उठाया करते थे जिनका उत्तर का महिलाओं के जीवन बहुत महत्व है। दैनिक समस्या रूपी समस्याओं में जिंदगी से जूझती स्त्री के ऊपर गांधी जी ने चिंता प्रकट की थी। वे मुख्य तीन सोपानों में वर्गीकृत करके उनके समस्याओं के सटीक निदान के बारे में चिंतन करते रहते थे। वे तीन सोपान इस प्रकार हैं– 1. सामाजिक प्रश्न, 2. राजनीतिक प्रश्न, 3. व्यक्तिगत प्रश्न।

सामाजिक प्रश्न – गांधीजी की माँ श्रीमती सावित्री बाई (देवी) जी उन्हें बचपन में राम–सीता, रामायण, गीता, राजा हरिश्चन्द्र की कहानियों को सुनाया करती थी, इसका गहन प्रभाव उनके नारी चिंतन पर सीता व द्रोपदी का चित्रण व व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा। गांधी जी प्रत्येक भारतीय नारी में सीता व द्रोपदी के गुणों को देखने व व्यावहारिक रूप में नारी में उनके गुणों को उतारने का प्रयास करते रहे।

गाँधी जी पुरुष और स्त्री में कोई मतभेद नहीं रखते थे इसी कारण वे दोनों की समस्याओं को एक ही दृष्टि से समाधान ढ़ूढ़ने का प्रयास करते रहते थे। दोनों की आत्मा एक है। दोनों एक जैसा जीवन व्यतीत करते हैं तथा भावनाएं भी समान हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक या एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखे जा सकते हैं। महिलाओं के प्रति स्मृति ग्रंथों के दृष्टिकोण पर टिप्पणी करते हुए गांधी जी ने कहा है कि निर्दयी परम्पराओं को धार्मिक स्वीकृति देना धर्म के अतिरेक है।

गांधी के व्यक्तिगत एवं सामाजिक अनुभवों के आधार पर वे यह मानते थे कि पुरुष ने हमेशा महिला को अपनी कठपुतली के रूप में इस्तेमाल किया है।[1] निःसंदेह इसके लिए पुरुष ही जिम्मेदार है लेकिन अंततः महिलाओं को यह निश्चित करना होगा कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए और उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? उनका मानना था कि यदि महिलाओं को विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है तो उन्हें पुरुषों को आकर्षित एवं खुश करने के लिए सजना–संवरना बंद कर देना चाहिए और आभूषणों से दूर रहना चाहिए।[2] गांधी का मानना था कि महिलाओं की शारीरिक इच्छा के संदर्भ में नहीं बोलने का अधिकार है। गांधी यह मानते हैं कि एक समान होते हुए भी पुरुष और स्त्री के स्वरूप में बहुत मिलता है। उनके कार्य भी अलग–अलग होने चाहिए। प्रत्येक स्त्री में मातृत्व का होना जरूरी है। वे गुण पुरुष में हो ये अनिवार्य नहीं है।

भारतीय समाज में पुत्रों को प्राथमिकता देने की प्रथा और कन्या शिशु की भ्रूण तथा गांधी को बहुत कम पहुंचाती थी। इस लैंगिक भेदभाव पर गांधी ने अपने विचार प्रकट किए है। वे समान सम्पत्ति पर बेटे व बेटी का अधिकार मानते थे। उसी प्रकार, पति की आमदनी को पति और पत्नी की सामूहिक संपत्ति समझा जाना चाहिए क्योंकि इस आमदनी के अर्जन में स्त्री का भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में योगदान रहता है।[3]

यदि एक पति अपनी पत्नी के साथ सही व्यवहार नहीं करता है तो गांधी के अनुसार पत्नी को अलग रहने का भी अधिकार होना चाहिए। एक पिता के कन्यादान के अधिकार की गांधी जी ने भी आलोचना की है। क्योंकि एक बेटी को किसी की सम्पत्ति माना जाना सही नहीं है। परन्तु 2003 में हंसराज मेहता की

कमेटी ने पैतृक सम्पत्ति में बेटी को अधिकार देकर गांधी जी के चिंतन में अपना योगदान दिया है। गांधी जी महिलाओं के समानता के पक्षधर थे–

1. महिलाओं को शिक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि वे अपने प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग तथा जीवन शैली को शिक्षा के माध्यम से बदल सकती है।
2. बाल–विवाह की प्रथा से गांधी जी बहुत दुःखी थे। जब शारदा अधिनियम में शादी की उम्र 14 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया तब गांधी को लगा कि यह सीमा 16 से 18 साल तक बढ़ा देनी चाहिए।[4] जो माता–पिता अपनी बेटी की शादी कम उम्र में करने की गलती कर चुके हो उनसे गांधी का निवेदन था कि अगर उनकी बेटी बाल विधवा हो जाए तो उसकी दूसरी शादी करा देनी चाहिए।[5]
3. गांधी जी सतीप्रथा के विरोधी थे।
4. गांधी जी दहेज प्रथा की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे।
5. गांधी जी महिला देह–व्यापार के भी विरोधी थे।
6. गांधी जी दृष्टि में नकल करने वाली लड़कियाँ जो पुरुषों की तरह दिखना चाहती है की समस्या पर गांधी जी ने सटीक उत्तर दिया। उनका मानना था कि आधुनिक लड़कियाँ ऐसी जूलियट की तरह थीं जिनके आगे–पीछे दर्जनों रोमियों घूमते रहते थे। फिर भी ग्यारह लड़कियाँ पत्र लिखकर प्रश्न पूछने पर गांधी जी ने यह कहा कि आधुनिक लड़की उनके लिए एक खास अर्थ रखता है। सारी लड़कियाँ जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करती है, जरूरी नहीं है कि वे आधुनिक लड़कियां हो। उनकी स्थिति उन भारतीय लड़कियों के लिए थी जो बिना सोचे हुए कथित आधुनिक लड़कियों की नकल करना चाहती थीं।

राजनीति के रूप में महिलाओं को भी बराबर का पद देने की बात कहते थे। भारत के राजनीतिक आंदोलन का एक मुख्य आधार बनाया है। 1921 के असहयोग आंदोलन में गांधी ने यह प्रयास किया था कि महिलाओं के इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी देनी चाहिए। खादी कातना से लेकर राजनीतिक तक गांधी जी महिलाओं

के योगदान को देखना चाहते थे। यहाँ कि उनकी पत्नी ने उनका राजनीतिक सहयोग दिया जब वे यरवदा जेल में 21 दिन बंद थे।

दूसरी ओर, गांधी जी यह मानते थे कि महिलाएँ शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पहरा और चौकसी करके राष्ट्रीय आंदोलन में ज्यादा मदद कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास जो अहिंसा व्रत के पालन करने की शक्ति है वह पुरुषों में नहीं है। पद और प्रतिष्ठा के उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो 1925 में सरोजिनी नायडू का चयन कॉलेज के अध्यक्ष पद के लिए किया गया।

गांधी जी साधारण जीवन और उच्च विचार के सिद्धान्त पर चलने वाले युग पुरुष थे। उच्च जीवन को जीतने का पहला सोपान है ब्रह्मचर्य। जो कि उनके आश्रम का सदस्य बनने की पहली शर्त थी तथा आश्रम के अनुशासन का पालन करना था। गांधी जी का मानना था कि अपनी व्यंजना पर नियंत्रण किए बिना एक पुरुष अपने ऊपर शासन नहीं कर सकता है और अपने ऊपर शासन किए बगैर स्वराज संभव नहीं है।

उपसंहार – गांधी की पूर्ण रूप से सभी मतभेद के विरोधी थे। वे शास्त्रों और स्मृतियाँ में महिलाओं को लेकर जो विरोधाभास है उसके पितृसत्तात्मक समाज की विचारधाराओं को दोष न देते हुए उन पुरुषों को दोषी समझते है जिन्होंने उन्हें लिखा है। गांधी जी का मानना है कि नियम के तहत पत्नी को अपने पति से अलग कोई भी व्यवसाय नहीं करना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

1 हरिजन, जनवरी 25, 1936, CW Vol. LXH, p.157

2 गांधी इन सीलोना, दू द वूमेन, गांधी श्रृंखला, वाल्यूम 11, हिंगोरानी, ए. कराची, 1943

3 नवजीवन, 13 जुलाई, 1924, CWMG Vol. 24, p.381-382.

4 जोशी, पुष्पा, गांधी वीमेन, पृ.104

5 तेंदुलकर, डी.जी., महात्मा, प्रकाशन विभाग, वाल्यूम 4ए, पृ.63